

फर्द अहकाम

उप खण्ड अधिकारी
सराडा, जिला-उदयपुर

श्री गुरु कोंठ

विपक्षी

अग्वावा

दी वाड

पत्रावली संख्या

19/13

सन्

19.06.2015

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा
सूचनाएं जारी की गई

पत्रावली के अंतर्गत

11-1-16 वकील वाडी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली
 पर उक्त वकील वाडी द्वारा अपने प्रार्थना
 पत्र के अतिरिक्त किया है कि निर्णय में प्रति
 अग्वावा के विन्दु पर अग्रगण्य प्रदान नहीं
 किया है जिससे पत्र अग्वावा के विन्दु पर
 निर्णय पारित किया जाना आवश्यक
 है। हमने पत्रावली को अग्रगण्य किया
 तथा वकील वाडी को सूचना तथा वकील
 वाडी को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
 जाकर उनका पारित निर्णय दिनांक
 19-6-15 को स्वीकारित कर पत्र अग्वावा
 का अग्रगण्य प्रदान किया जाना उचित
 है अतः वाडी को वाड सभाधी
 निवेदन पत्र अग्वावा को स्वीकार
 किया जाता है तथा वाडी के हक में
 इस परिवार के विन्दु किमन प्राप्त
 कर डिक्री किया जाता है

1- वाड फाही हक से 1 में वकील भोजन
 जालेड की आंकड 1535, 1536,
 1537, 1538 कुल किला प वम्बा 0.4600
 हेक्टर का वाडी एवं परिवारही से 1 व 2 के
 मध्य नाप एवं सीमाको द्वारा विधिवत

के
 068-71
 68-71
 सिमली
 राम
 काशातकर
 510-11
 ग 1 शाना
 डा 1/4 हिली
 न आता है
 अग्रगण्य
 सा 0 वीगडी
 तथा लिम्ब
 बडरूर
 डा 1-2-3
 मरुत
 मरुत
 हिस्सा
 डा 0 डिडी
 डा 0
 रिपोर्ट
 के पी

पानि बटवारा किया जाकर बांध को $\frac{3}{8}$ हिस्से की
 कृषि भूमि पर कलना संपूर्ण किया जावे तथा $\frac{1}{2}$ हिस्से
 3 परिवारी क्र० 1 अथवा $\frac{1}{2}$ हिस्सा परिवारी क्र० 2 लिम्बा
 का रहेगा जिस पर उनको कलना संपूर्ण किया जावे

2- मोजा गातोडा के आ० क्र० 1470/1606, 1607, 1608, 1609,
 1610, कुल चला 6 रम्बा 6-7600 हेक्टर का वाडी एवं
 परिवारी क्र० 2, 3, 4 के मध्य मोडे पर वाड पर वी इस
 संख्या 2 में वार्षिक हिस्सेनुसार मोडे पर नाप एवं
 सीमाओं द्वारा पानि बटवारा किया जाकर वाडी को $\frac{3}{8}$
 हिस्से की कृषि भूमि पर अलग से कलना संपूर्ण किया
 जावे

3- मोजा गातोडा की जमाबन्दी सन् 2068 से 2071 के अला
 सब 293 वी कुल चला 45 रम्बा 3-8300 हेक्टर मुक्ति
 वाडी एवं परिवारी क्र० 1 व 2 के मध्य भाषिक हिस्से के
 मोडे पर नाप एवं सीमाओं द्वारा विधिक पानि बटवारा
 किया जाकर वाडी को $\frac{3}{8}$ हिस्से की भूमि पर अलग
 से कलना संपूर्ण किया जावे शेष हिस्सा परिवारी क्र०
 1 व 2 का रहेगा तथा इफरोम इस सब 1, 2, 3 में
 वार्षिक कुलिया कृषि भूमि का पट्टाकारण के मध्य
 का भाषिक हिस्से के पानि बटवारा किया जाकर
 राजस्व बोर्ड से अलग-अलग माने एवं कमान
 कायम हिये जावे हेतु तहसीलदार सराडा कोलेक्टर
 जारी की जावे। तहसीलदार डिप्टी पर्चा अथवा के
 खनाप जावे। पत्रावली फैनल सुमाह कि जाकर
 नम्बर से कुम कि जावे।

✓
 उप खण्ड अधिकारी
 सराडा, जिला-उदयपुर